चतुर्थ अध्याय: प्रेमचंद के उपन्यासों में चित्रित विधवा समस्याएँ।

१] आर्थिक समस्या।

२] कामांध पुरुषों की वासना का शिकार बन जाने की समस्या।

३] पति के संपत्ति के उत्तराधिकार की समस्या।

४] पुनर्विवाह की समस्या।

५] पुनर्विवाह के निंदकों की समस्या।

६] विधवा आश्रम की समस्या।

७] परिवार में विधवा के अस्तित्व की समस्या।

८] मानसिक संघर्ष की समस्या।

९] भोजन की समस्या।

KOLHAPUR

: चतुर्थ अध्याय :

प्रेमचंद के उपन्यासों में चित्रित विधवा समस्याएँ।

आज भी हिंदू समाज में विधवा-समस्या अपने भयंकर रूप में उपस्थित है। प्रेमचंद-युग में पुरुष के अत्याचारों से नारी यों ही पीड़ित थी, किंतु विधवा तो पुरुष और स्त्री दोनों की दृष्टि में पतित थी। उसे घर के सारे कार्य करने पड़ते थे, सबकी सेवा और खुशामद करनी पड़ती थी। वह शुभ-कार्यों से बहिष्कृत, पतिघातिनी, पापिनी, और जाने क्या-क्या समझी जाती थी। यही नहीं, ये बातें उसके मुँह पर कह कर उसका अपमान भी किया जाता था। विधवा की उम्र जितनी कम होती थी, उतना ही अत्याचार भी उतना ही ज्यादा होता था। वह बाल विधवा हो, या निस्सन्तान युवती, या निराश्रित हो, या अनाथ, किसी भी स्थिति में समाज की दृष्टि में, उसका पुनर्विवाह वांछित न था। उसके भाग्य में जीवन भर दुःख भोगना ही लिखा था। ऊपर से समाज और परिवार का अपमान, अवहेलना तथा पुरुषों के व्दारा दिए जानेवाले प्रलोभन। यदि वे ऐसे किसी प्रलोभन में फंस जाती थी, तो उनके लिए सिवा आत्महत्या, वेश्या-वृत्ति के और कोई रास्ता न रह जाता। अपने परिवार और समाज में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहता था।

यों तो वर्तमान हिंदू समाज में समग्र नारी-जीवन पुरुष वर्ग का तिरस्कार, दमन तथा उपेक्षा-भावना का शिकार है। लेकिन सबसे अधिक अत्याचार और शोषण की प्रतिमूर्ति एक मात्र विधवा ही है। विधवा को समाज का उपेक्षित, पददलित तथा तिरस्कृत अंग समझने वाले पोंगापंथियों को एवं विधवा को अपनी कामुकता तथा वासना का सहज-सुलभ पात्र समझने वाले दरिन्दो को प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में नंगा करके दिखाया है।

विधवा-जीवन की विवशताएँ, उनपर होने वाले अत्याचार तथा उनके लिए सम्मानपूर्ण वातावरण बनाने के उपाय आदि सभी बातों का वर्णन प्रेमचंद के उपन्यासों में मिलता है। विधवा के प्रति उनके हृदय में बडा दर्द था, जो जगह-जगह ज्वालामय शब्दों के रूपमें अंकित हो गया है।

विधवा-जीवन के सम्बन्ध में प्रेमचंद ने अपने `प्रतिज्ञा` नामक उपन्यास में विस्तार से लिखा है। `प्रतिज्ञा` की मुख्य समस्या `विधवा-समस्या` ही है। इसके अतिरिक्त `वरदान`, `निर्मला`, `कर्मभूमि` में भी जगह-जगह इस समस्या के सम्बन्ध में चर्चा है। `प्रतिज्ञा` की पूर्णा, `वरदान` की वृजरानी, `कर्मभूमि` की रेणुका, `निर्मला` की कल्याणी व रुक्मीनी सभी अभिशापित जीवन का बोझ ढो रही हैं। इन विधवाओं के माध्यमसे प्रेमचंद विधवा समस्या का उद्घाटन करते हैं, और जैसा की उनका स्वभाव था, वे समस्या के उद्घाटन से ही संतुष्ट नहीं होते थे वरन् उसका कोई न कोई हल भी प्रस्तुत करते थे।

अब हम यह देखेंगे की प्रेमचंद ने विधवा समस्या के कौन-कौनसे पहलुओंपर प्रकाश डालने का प्रयास किया है।

१] <u>आर्थिक समस्या</u>

कोई औरत जब विधवा हो जाती है तो उसका जीवन आर्थिक दृष्टि से कष्टमय बन जाता है। प्रेमचंद कालमें औरतें अपना जीवन पति की मदत से ही बिताती थी पति के मर जाने के पश्चात उसका उसके परिवार में कोई स्थान नहीं रह जाता था। वह रोटी के लिए भी तरसती थी। अगर उसके पास उसके पति की थोडी भी संपत्ति है तो उस संपत्तिपर परिवार वाले अधिकार जमाने का प्रयास करते थे। इस का चित्रण प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में किया है।

` प्रतिज्ञा ` में पूर्णा की कहानी विधवा-जीवन का हृदयविदारक चित्र उपस्थित करती है। ठीक पति की मृत्यु के पश्चात पूर्णा किस तरह से हिंदू-समाज के धर्म ध्वजियों, पोंगा-पंथियों तथा विधवाओं की अस्मत से खेलने वालों का शिकार बनती है यह सब इतने यथार्थवादी ढंगसे चित्रित किया गया है कि विधवा-जीवन की सारी दयनीयता, सारी विवशता एंव दुर्बलता को सामने ला देता है। पूर्णा का जीवन एक दर्पण है, जिसमें हिंदू विधवा का यथार्थ स्वरूप देखा जा सकता है।

कमला प्रसाद पूर्णा के पति पंडित बसंतकुमार का मित्र है। बसंतकुमार की मृत्यु के बाद वह अपने दकियानूस पिता बदरी प्रसाद से राय लेकर पूर्णा की सहायता करने जाता है। पूर्णा के माँ-बाप पहले ही मर चुके थे। मामा ने किसी प्रकार विवाह किया था। ससुराल में भी कोई सगा न था। ऐसी अवस्था में पडोसी धर्म के नाते बदरी प्रसाद उसके पालन-पोषण का कुछ प्रबंध करना चाहते हैं और उसे अपने घरमें रखने का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव कमला प्रसाद को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें आर्थिक हानि थी। फिर भी पिता के भय के कारण वह पूर्णा के घर पहूँचता है, लेकिन यही सोचकर कि किसी भाँति पूर्णा को यहाँ से टाल दूँ, मैके चले जाने के लिए प्रेरित करूँ। प्रेमचंद लिखते हैं - "उसे इसकी जरा भी चिंता न थी कि इस अबला का भविष्य क्या होगा ? उसका निर्वाह कैसे होगा, उसकी रक्षा कौन करेगा ? इसका उसे लेश मात्र भी ध्यान न था।" [१]

सम्भ्रात और सुशिक्षित परिवारों में भी विधवा की दशा नौकर-चाकर से अच्छी न थी। ` निर्मला ` उपन्यास की रुक्मिणी विधवा होने के बाद भाई के घर का आश्रय लेती है। मुंशी तोताराम विधवा बहन का पालन-पोषण किस दृष्टि से करते हैं, यह उनके इस कथन से ज्ञात होता है।

वे निर्मला से कहते हैं- "मैंने तो सोचा था कि विधवा है, अनाथ है, पाव भर आटा खाएँगी, पडी रहेगी। जब और नोकर-चाकर खा रहें हैं, तो यह अपनी बहन ही है। लडकी की देखभाल के लिए औरत की जरुरत भी थी, रख लिया, लेकिन इसके यह माने नहीं है कि वह तुम्हारे उपर शासन करें।" [२]

विधवाओं की अगर कोई युवा पुत्रियाँ हैं और इतना ही नहीं तो उनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है, तो इससे समाज में अनेक कुप्रथाओं और समस्याओं का जन्म होता है। दहेज देने का सामर्थ्य अगर उनमें नहीं तो ऐसी विधवा अपनी पुत्रियों का विवाह सुपात्र से नहीं कर पाती और अनमेल विवाह के कारण दाम्पत्य कलह, वेश्या-वृत्ति आदि कई प्रश्न उपस्थित होते हैं। 'निर्मला' उपन्यास की कल्याणी जब विधवा होती है, उसके दो लडकियाँ हैं बडी लडकी [निर्मला] विवाह-योग्य है और छोटी लडकी [कृष्णा] भी दस वर्ष की है। प्रेमचंद लिखते हैं- "दरिद्र विधवा के लिए इससे बडी और क्या विपत्ति हो सकती है कि जवान बेटी सिर पर सवार हो। लडके नंगे पाँव पढने जा सकते हैं, चौंका-बर्तन भी अपने हाथ से किया जा सकता है, रुखा-सूखा खा कर निर्वाह किया जा सकता है, झोंपडे में दिन काटे जा सकते हैं, लेकिन युवती कन्या घर में नहीं बिठाई जा सकती।" [३]

निर्मला का विवाह बूढे तोताराम से होता है। युवती वृध्द पति से संतुष्ट नहीं हो सकती यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। ऐसी अवस्था में वह अपने भाग्य को दोष दे कर अपनी स्थिति से संतोष कर लेती है, यद्यपि उसकी आंतरिक जलन बनी रहती है। निर्मला के व्यवहार को देखकर तोताराम सोचते हैं- "जब वृध्दा के साथ युवक प्रसन्न नहीं रह सकता, तो युवती क्यों किसी वृध्द के साथ प्रसन्न रहने लगी। ..... स्त्री स्वभाव से लज्जाशीला होती है। कुलटाओं की बात तो दूसरी है, पर

साधारणतः स्त्री पुरुष से कहीं ज्यादा संयमशीला होती है। जोड का पति पा कर वह चाहे पर पुरुष से हँसी-दिल्लगी कर ले, पर उसका मन शुध्द रहता है। बेजोड विवाह हो जाने से वह चाहे किसी की ओर आँख उठा कर न देखे, पर उसका चित्त दुःखी रहता है। " [४]

इसप्रकार आर्थिक समस्या के कारण विधवा की ही नहीं तो समस्त नारी की बुरी दशा होती है।

२] कामान्ध पुरुषों की वासना का शिकार बन जाने की समस्या।

पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं। पति के मर जाने के पश्चात स्त्रियों का जीवन नरक बन जाता हैं। समाज के कामांध पुरुषों की नजरों से बचना उनके लिए मुश्किल होता है। उन पुरुषों की वासना का शिकार यह विधवा बन जाती है। एकाद ही विधवा बडी मुश्किल से इन पुरुषों की चंगुल से बच निकलती है।

' प्रतिज्ञा ' उपन्यास की पूर्णा विधवा होने के पश्चात पूर्णा के पति का मित्र कमला प्रसाद पूर्णा की कुछ मदत करना चाहते हैं। कमला प्रसाद अपने पिता बदरी प्रसाद से राय लेते हैं। बदरी प्रसाद भी पडोसी धर्म के नाते पूर्णा की सहायता करना चाहते है। बदरी प्रसाद पूर्णा को आपने घर लानेका प्रस्ताव भी कमला प्रसाद को देते हैं लेकिन कमला प्रसाद को यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता। पिता के डर से पूर्णा के घर जाते हैं। पूर्णा की सुंदरता देखकर कमला प्रसाद पूर्णा की ओर आकर्षित होते हैं। जब कमला प्रसाद पूर्णा को देखते हैं, उसकी कृतज्ञता और विनय से भरी हुई सजल आँखो को देखते है, उसकी सरल निष्कलंक दीनमुर्ति को देखते हैं तो अपनी कुटिलता पर क्षणिक लज्जित होते हैं। लेकिन उसकी यह

लज्जा पूर्णा के सौंदर्य को देखकर छूमंतर हो जाती है और अपनी काम-वासना की पूर्ति के लिए वे बडी-बडी बाते करके सीधी और मूक पूर्णा को अपने घर ले जाने के लिए राजी कर लेते हैं। समाज में दूसरों की दुर्बलताओं और विवशताओं से लाभ उठाने वाले विधवाओं को पहले अपना लक्ष्य बनाते हैं। सीधी स्त्रियाँ उनकी प्रशंसात्मक छलभरी बातों में आसानी से फंस जाती हैं। पूर्णा भी कमला प्रसाद के जाल में धीरे-धीरे फसने लगती है, प्रेमचंद लिखते हैं- "आश्रयविहीन अबला के लिए इस समय तिनके का सहारा ही बहुत था, तो वह नौका की कैसे अवहेलना करती, पर वह क्या जानती थी कि यह उसे उबारने वाली नौका नहीं वरन् एक विचित्र जलजंतु है, जो उसकी आत्मा को निगल जायगा।" [५]

` प्रतिज्ञा ` उपन्यास में नायिका पूर्णा एक ऐसी विधवा है, जो समाज की बुरी नजरों से बच नहीं पाती, लाला बदरी प्रसाद अनाथ विधवा पूर्णा को अपने घरमें आसरा देते हैं, लेकिन उनका लंपट पुत्र पूर्णा को अपनी वासना का शिकार बनाना चाहता है। प्रेमचंद कहते हैं- "कमला प्रसाद लंपट न था। सबकी यही धारणा थी कि उसमें चाहे और कितने ही दुर्गुण हो, पर यह ऐब न था। किसी स्त्री पर ताक-झाँक करते उसे किसीने न देखा था। फिर पूर्णा के रूपमें उसे कैसे मोहित कर लिया, यह रहस्य कौन समझ सकता है। कदाचित पूर्णा की सरलता, दीनता और आश्रय-हीनता ने उसकी कुप्रवृत्ति को जगा दिया। उसकी कृपणता और कायरता ही उसके सदाचार का आधार थी। विलासिता महँगी वस्तु है, जेब के रूपए खर्च करके भी किसी आफत में फंस जाने की जहाँ प्रतिक्षण संभावना हो, ऐसे काम में कमला प्रसाद जैसा चतुर आदमी न पड सकता था। पूर्णा के विषय में उसे कोई भय न था। वह इतनी सरल थी कि उसे काबू में लाने के लिए किसी बडी साधना की जरूरत न थी और फिर यहाँ तो किसी का भय नहीं, न फँसने का भय, न पिट जाने की शंका। अपने घर लाकर उसने

शंकाओं को निरस्त्र कर दिया था। " [6]

ऐसी नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति बाते बनाने में बडे ही कुशल होते हैं। सरल तथा धार्मिक प्रवृत्ति की विधवाओं को प्रेम, ईश्वर और धर्म के नामपर अपनी ओर आकृष्ट करना और इनके कारगर न होनेपर प्राण दे देने तक की धमकी देना इन व्यक्तियों के यही कुछ लटके होते हैं। कमला प्रसाद पूर्णा से एकाधिक बार कहता है- "जिस दिन से तुम्हारी मधुर छवि देखी है, उसी दिन से तुम्हारी उपासना कर रहा हूँ। पाषाण-प्रतिमाओं की उपासना पत्र-पुष्प से होती है, किंतु तुम्हारी उपासना मैं आहुँओं से करता हूँ। मैं झूठ नहीं कहता पूर्णा। .. . अगर इस समय मुझे तुम्हारा संकेत पा जाऊँ, तो अपने प्राणों को भी तुम्हारे चरणों पर अर्पण कर दूँ। ..... अवश्य ही पूर्व जन्म में तुमसे मेरा कोई घनिष्ट समबन्ध रहा होगा ..... अगर तुम्हारी आँखें मेरी ओर से यों ही फिरी नहीं, तो देख लेना, कमला प्रसाद की लाश या तो इसी कमरे में तडफती हुई पाओगी, या गंगा तटपर, मेरा यह निश्चय है। " [7]

प्राण देने की धमकी देकर कमला प्रसाद प्रेमा को पाना चाहता है, फिर भी वह उसे पा नहीं सकता तो कमला प्रसाद प्रेमा को प्रलोभन देकर अपने वश में कर लेना चाहता है- "प्रेम ईश्वरीय प्रेरणा है- ईश्वरीय संदेश है। प्रेम के संसार में आदमी की बनाई सामाजिक व्यवस्था-ओंका कोई मूल्य नहीं। विवाह समाज के संगठन की केवल आयोजना है।... ..... क्या ईश्वर ने तुम्हें इसीलिए बनाया हैं कि दो-तीन साल प्रेम का सुख भोगने के बाद आजीवन वैधव्य की कठोर यातना सहती रहो ? कभी नहीं, ईश्वर इतना अन्यायी, इतना क्रूर नहीं हो सकता। ..... ईश्वर तुम्हें दु:ख के इस अपार सागर में डूबने नहीं देना चाहते। वह तुम्हें उभारना चाहते हैं, तुम्हें जीवन के आनंद में मग्न कर देना चाहते हैं। यदि उनकी

प्रेरणा न होती, तो मुझ-जैसे दुर्बल मनुष्य के हृदय में प्रेम का उदय क्यों होता, जिसने किसी स्त्री की ओर कभी आँख उठाकर नहीं देखा, वह आज तुमसे प्रेम की भिक्षा क्यों माँगता होता ? मुझे तो यह दैव की स्पष्ट प्रेरणा मालूम हो रही है। "[८]

कमला प्रसाद के चंगुल में पराधीन पूर्णा धीरे-धीरे ... फँसने लगती है और एक रात उसकी कामुकता का शिकार होते-होते बचती है। पूर्णा के ये शब्द विधवा के अभिशाप्त जीवन की विभीषिका को स्पष्ट कर देते हैं- "अब जाने दो बाबूजी, क्यों मेरा जीवन भ्रष्ट करना चाहते हो, तुम मर्द हो, तुम्हारे लिए सब कुछ माफ है, मैं औरत हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी ? डूब मरने के सिवा मेरेक लिए कोई उपाय न रह जायगा। मैं तो आज मर भी जाऊँ तो, किसी की कोई हानि न होगी, वरन् पृथ्वी का कुछ बोझ ही हलका होगा। "[९]

कमला प्रसाद के व्दारा दिए गए प्रलोभनों से अत्यंत दृढ चरित्रवाली विधवाएँ ही बचकर रह सकती थी। पूर्णा सामान्य नारी है सुमित्रा ने उसके स्वभाव का सही विश्लेषण किया है- " तुम्हारा हृदय निष्कपट है। अगर तुम्हें कोई न छेडता तो तुम जीवन-पर्यंत अपने व्रत पर स्थिर रहती। लेकिन, पानी में रहकर हलकोरों से बचे रहना तुम्हारी ... शक्ति के बाहर था। बे-लंगर की नाव लहरों में स्थिर नहीं रह सकती। पडे हुए धन को उठा लेने में किसे संकोच होता है ? "[१०]

पूर्णा समझती है कि कमला प्रसाद का प्रेम मिथ्या है और वह बार-बार उसका विरोध करती है, किंतु कमला प्रसाद के प्राण-त्याग की बार-बार की धमकी से उसका कोमल और निष्कपट हृदय विचलित हो जाता है। वह खूब समझती है कि बाबू साहब ईश्वर को क्यों हमेशा बीच में ... घसीट लाते हैं और उनके प्रेम की क्या सीमा है। वह कमला प्रसाद

से कहती है- " बाबूजी, यह सब खाली बात-ही-बात है। इसी मुहल्ले में दो-एक ऐसी घटनाएँ देख चुकी हूँ। आप को न जाने क्यों मेरे इस रूप पर मोह हो गया है। अपने दुर्भाग्य के सिवा इसे और क्या कहूँ ? जब तक आपकी इच्छा होगी, अपना मन बहलाइएगा, फिर बात भी न पूछिएगा, यह सब समझ रही हूँ। ईश्वर को आप बार-बार बीच में क्यों घसीट लाते हैं, इसका मतलब समझ रही हूँ। ईश्वर किसी को कुमार्ग की ओर नहीं ले जाते। उसे चाहे प्रेम कहिए, चाहे वैराग्य कहिए, लेकिन है कुमार्ग ही। मैं इस धोखे में नहीं आने की, आज जो कुछ हो गया, अब भूलकर भी मेरी ओर आँख न उठाइएगा, नहीं तो मैं यहाँ न रहूँगी। यदि कुछ न हो सकेगा तो डूब मरूँगी। " [११]

कमला प्रसाद एक और कौशल रचता है। वह पूर्णा के संस्कारों को पाप और पुण्य में उसकी आस्था को, उसकी पति-भक्ति और संयम को भी तर्क से काट देता है- "आखिर विवाहिता ही क्या पुरुष को जंजीर से बांध रखती है ? वहाँ भी तो पुरुष ही का पालन करता है ? जो वचन का पालन नहीं करना चाहता, क्या विवाह उसे किसी तरह मजबूर कर सकता है ? सुमित्रा मेरी विवाहिता हो कर ही क्या ज्यादा सुखी हो सकती है ? यह तो मन मिले की बात है। जब विवाह के अवसर पर बिना जाने-बूझे कही जाने वाली बात का इतना महत्व है, तो क्या प्रेम से भरे हुए हृदय से निकलने वाली बात का कोई महत्व ही नहीं। " [१२]

इसी प्रकार वह पूर्णा से अन्यत्र कहता है- "साधारण कामों में जब हमसे कोई भूल हो जाती है, तो हम उसे तुरंत सुधारते हैं। तब जीवन ह को हम क्यों एक भूल के पीछे नष्ट कर दें ? अगर आज किसी दैवी बाधा से यह मकान गिर पड़े, तो हम कल ही उसे बनाना शुरु कर देंगे, मगर जब किसी अबला के जीवन पह दैवी अघात होता है, तो उससे आशा का जाती

है कि वह सदैव उसके नाम को रोती रहे। यह कितना बडा अन्याय है ? पुरुषोंने यह विधान केवल अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए किया है। " [१३]

कमला प्रसाद के इन तर्कों से पूर्णा का हृदय विचलित हो जाता है। फलतः उसके मन में पति-भक्ति, संयम, व्रत के विरुध्द तरह-तरह के विचार आने लगते हैं- " क्या वह मर जाती तो उसके पति पुनर्विवाह न करते ? अभी उनकी अवस्था ही क्या थी ? पच्चीस वर्ष की अवस्थामें क्या वह विधुर-जीवन का पालन करते ? कदापि नहीं। अब उसे याद ही न आता था कि पंडित वसंतकुमार ने उसके साथ कभी इतना अनुरक्त प्रेम किया था।........ स्त्री और पुरुष का मन न मिला तो विवाह क्या मिला देगा ? विवाह होने पर भी तो पुरुष की जब इच्छा होती है, स्त्री को छोड देता है। बिना विवाह के भी तो स्त्री-पुरुष आजीवन प्रेम से रहते हैं। " [१४]

कमला प्रसाद जैसे कामांध पुरुषोंके, पूर्णा जैसी सुंदर स्त्री को बार-बार काम के लिए प्रेरित करने के पश्चात, पूर्णा को कुछ दाल में काला नजर आता है और वह कमला प्रसाद से कहती है- "अब जाने दो बाबूजी क्यों मेरा जीवन भ्रष्ट करना चाहते हो। तुम मर्द हो, तुम्हारे लिए सब कुछ माफ है। मैं औरतहूँ, मैं कहाँ जाऊँगी ? दूर तक सोचो। अगर घर में जरा भी सुनगुन हो गई, तो जानते हो, मेरी क्या दुर्गति होगी ? डूब मरने के सिवा मेरे लिए कोई उपाय रह जाएगा ? इसको सोचिए, आप मेरे पीछे निर्वासित होना पसंद करेंगे ? और फिर बदनाम हो कर कलंकित हो कर जिए,तो क्या जिए। " [१५]

विधवा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, समाज के हाथों में उसकी लम्बी सूची होती है। ` कर्मभूमि ` उपन्यास की रेणुका देवी

का परिचय देते हुए प्रेमचंद लिखते हैं- "रेणुकादेवी रूप और व्यवस्था से नहीं विचार और व्यवहार से वृध्दा थी। दान और व्रत में उनकी आस्था न थी, लेकिन लोकमत की अवहेलना न कर सकती थी। विधवा का जीवन तप का जीवन है। लोकमत इसके विपरीत कुछ नहीं देख सकता। रेणुका को विवश हो कर धर्म का स्वांग भरना पडता था।" [१६]

` प्रतिज्ञा ` उपन्यास में विधवा की करूणावस्था पर लेखक टिप्पणी करता है, " विधवा पर दोषारोपण करना कितना आसान है। जनता को उसके [illegible] विषय में नीची-से-नीची धारणा करते देर नहीं लगती, मानो कुवासना ही वैधव्य की स्वाभाविक वृत्ति है, मानो विधवा हो जाना मन की सारी दुर्वासनाओं, सारी दुर्बलताओं का उमड आना है।" [१]

प्रेमचंद कितनी सही बात कहते हैं। विधवा का जीवन कितना कष्टमय है इसे प्रेमचंद ने सुंदर ढंगसे दिखाया। अगर कोई स्त्री अपनी भरी जवानी में विधवा हो गयी हो और वह सुंदर हो तो उसे कमला प्रसाद जैसे कामांध पुरूषों की नजरों से बचाना कितना मुश्किल है। पूर्णा जैसी दृढ चरित्र वाली विधवा ही अपने पतिव्रत्य का पालन कर सकती है और कमला प्रसाद जैसे कामांध पुरूषो की नजरोंसे बच सकती है।

३] पति के सम्पत्ति के उत्तराधिकार की समस्या।

प्रेमचंद युग में पति की सम्पत्ति में विधवा का थोडा हिस्सा भी नहीं होता था, इसलिए सम्मिलित परिवार में उसकी दुर्दशा होती थी। जिस घर की वह स्वामिनी होती थी, पति के मरणोपरांत उसी घर में उसकी कोई कद्र नहीं होती थी। यदि उसके पुत्री हुई, तो उसके विवाह का भार ही परिवार पर रहता था। इस दृष्टि से प्रेमचंद ने विधवाओं की

दयनीयता का अध्ययन किया था। और उन्होंने ऐसी अभागिनी विधवाओं का चित्रण बडी करुणा और बडे रोष के साथ किया है। वे उन पतियों को बडी श्रध्दा की दृष्टि से देखते थे, जो अपनी मृत्यु से पूर्व कुछ जायदाद अपनी पत्नियों के नाम लिख जाते थे।

' गबन ' उपन्यास की रतन के पुत्र नहीं है। अत: उसके पति के कमाए हुए लाखों की संपत्तिपर एक क्षण में दूसरों का हक हो जाता है और वह राह की भिखारिन हो जाती है- "वही रतन है जिसने रुपयों की कभी कोई हकीकत न समझी इस एक ही महीने में रोटियों की भी मुहताज हो गई थी।" १८

रतन पति के भतीजे मणिभूषण से उसकी बातचीत इस प्रकार होती है- "मणिभूषण ने धीरे-धीरे उसकी सारी सम्पत्ति अपहरण कर ली। ऐसे-ऐसे षडयंत्र रचे कि सरला रतन को उसके कपट व्यवहार का आभास तक न हुआ फंदा जब कस गया, तो उसने एक दिन आ कर कहा, "आज बंगला खाली करन होगा। मैंने इसे बेच दिया है।"

रतन ने जरा तेज हो कर कहा, "मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं अभी बंगला न बेचूँगी..... मैं अभी यहाँ रहना चाहती हूँ।"

"मैं आपको यहाँ रहने नहीं दूँगा।"

"मैं तुम्हारी लौंडी नहीं हूँ।"

"आपकी रक्षा का भार मेरी ऊपर है। अपने कुल की मर्यादा-रक्षा के लिए मैं आपको अपने साथ ले जाऊँगा।"

रतन ने ओठ चबाकर कहा- "मैं अपनी मर्यादा की रक्षा आप कर सकती हूँ। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। मेरी मर्जी के बगैर तुम यहाँ की कोई चीज नहीं बेच सकते।"

मणिभूषण ने वज्र-सा मारा, "आप का इस घर पह और चाचाजी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं। वह मेरी संपत्ति है। आप मुझे केवल गुजारे का सवाल कर सकती हैं।"

रतन ने विस्मित हो कर कहा, "तुम कुछ भंग तो नहीं खा गए हो ?"

मणिभूषण ने कठोर स्वर में कहा, "मैं इतनी भंग नहीं खाता कि बेसिर-पैर की बातें करने लगूँ। आप तो पढी-लिखी हैं, एक बडे वकील की धर्मपत्नी थी। कानून की बहुत सी बाते जानती होगी। सम्मिलित परिवार में विधवा का अपने पुरुष की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता।" [१९]

रतन हतबुध्दि हो जाती है- " मगर ऐसा कानून बनाया किसने ? क्या स्त्री इतनी नीच, इतनी तुच्छ, इतनी नगण्य है ? क्यों ? दिन भर रतन चिंता में डूबी मौन बैठी रही। इतने दिनों वह अपने को इस घर की स्वामिनी समझती रही। कितनी बडी भूल थी। पति के जीवन में जो लोग उसका मुँह ताकते थें, वे आज उसके भाग्य के विधाता हो गए।" [२०]

रतन चाहती, तो आदालत में यह आसानी से सिध्द कर सकती थी कि वकील साहब और उनके भाई में बँटवाडा हो चुका था, पर वह मानिनी थी और किसी की दया नहीं चाहती थी। उसने निश्चय किया कि जो कुछ उसका नहीं है, उसे न लेगी वह मजदूरी करके अपना निर्वाह करेगी, नहीं तो डूब मरेगी। वह जिन शब्दों में मणिभूषण को जवाब देती है, वे एक पीडित विधवा के साथ-साथ पाठकों के हृदय का भी उद्‌घाटन करते हैं- "मैंने कह दिया, इस घर की चीज से मेरा नाता नहीं है। मैं किराए की लौंडी थी। लौंडी का घर से क्या सम्बन्ध ? न जाने किस पापी ने यह कानून बनाया था। अगर ईश्वर कहीं है और उसके यहाँ कोई न्याय होता है, तो एक दिन उसी के सामने उस पापी से पूछूँगी, क्या तेरे घर में माँ बहने न थी ? तुझे उनका अपमान करते लज्जा नहीं आई ?" [२१]

आगे रतन क्रोध से कहती है- " अगर मेरी जबान में इतनी ताकद होती कि सारे देश में उसकी आवाज पहुँचती तो मैं सब स्त्रियों से कहती- बहनों, किसी सम्मिलित परिवार में विवाह मत करना, तो जब तक अपना घर अलग न बना लो, चैन की नींद मत सोना यह मत समझो कि तुम्हारे पति के पीछे उस घर में तुम्हारा मान के साथ पालन होगा। अगर तुम्हारे पुरुष ने कोई तरफा नहीं छोडा, तो तुम अकेली रहो, चाहे परिवार में, एक ही बात है। तुम अपमान और मजूरी से नहीं बच सकती। अगर तुम्हारे पुरुष ने कुछ न छोडा है, तो अकेली रह कर तुम उसे भोग सकती हो। परिवार में रहकर तुम्हें उससे हाथ धोना पडेगा। " [२२]

प्रेमचंद ने यह दिखलाया कि घर की संपत्ति में विधवाओं का हिस्सा न होने के कारण उन्हें अपने ही परिवार में निकृष्ट जीवन व्यतीत करना पडता था इसलिए प्रेमचंद आर्थिक दृष्टि से स्त्रियों की समानता के पक्षपाती थे। ' हिंदू स्त्री सम्पत्तिक अधिकार ' का प्रस्ताव, जिसमें पति की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति में विधवा भी एक दायाद होती और जो सन १९३७ ई. में पारित हुआ, प्रेमचंद के जीवन-काल में ही आ चुका था। प्रेमचंद ने इसके प्रस्तावक को ' जागरण ' में एक लेख द्वारा इन शब्दों में बधाई दी थी- " मैं आपको दिल से बधाई देता हूँ। स्त्रियाँ आपकी हमेशा कृतज्ञ रहेगी, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों मिल कर जिस सम्पत्ति को जोडते हैं, पति के मर जाने के बाद उन्ही की गोद के बच्चे उनसे मुँह छिपाते हैं। यह प्रस्ताव जिस दिन पास होगा, करोडो महिलाएँ आपको हृदय से आशीर्वाद देगी और आपकी सदैव कृतज्ञ रहेगी। उन्हीं के साथ मैं भी आपका कृतज्ञ हूँ। क्या हिंदू-लॉ में स्त्रियाँ बेकार चीज समझी गई हैं कि जो कूडा-करकट की तरह उन्हें निकाल कर बाहर किया जाता है ? भगवान जाने यह कानून क्यों और किन के लिए बनाया था। मुझे तो आशा है, कोई भी विचारवान व्यक्ति इस प्रस्ताव पर असहमति न प्रकट करेंगा। " [२३]

४] पुनर्विवाह की समस्या

प्रेमचंद-युग में बाल-विधवाओं तथा निस्सन्तान युवती विधवाओं का पुनर्विवाह होने लगा था। प्रेमचंद ने स्वयं अपना दूसरा विवाह एक बाल-विधवा से किया था। पुराने विचार के लोगों व्दारा विधवाओं के पुनर्विवाह का बहुत विरोध किया गया था, किंतु सुधारकों ने इसमें जी जान से योग दिया। प्रेमचंद ने भी इस समस्या को सुधार और मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा। वे नवीन युग के नवीन धर्म को समझते थे। जब पुरानी परिस्थितियाँ न रही, प्राचीन विचार न रहे, तो पूरानी लोकरीतियों को ढोते चलना उनकी दृष्टि में ठीक न था। फिर मनुष्य मात्र का जीवन किसी आधार पर ही सुचारु रूपसे चलताह है। नारी के लिए पति, पुत्र, भाई आदि में से किसी एक का रहना आवश्यक ही है, जिसके लिए वह जिए और मरे। बाल-विधवाओं और कुछ सीमातक निस्सन्तान विधवाओं से भी, यह आधार छिन जाता है, और वे बेपतवार की नाव की भाँति जिधर की हवा होती है, उधर ही बह जाती है।

स्त्री-पुरुष की समानता के आधारपर भी प्रेमचंद ने बाल विधवा-विवाह का समर्थन किया है। ` धिक्कार ` कहानी में उनका एक पात्र कहता है- "मैं विधवाओं के पूनर्विवाह के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि पतिव्रत यह अलौकिक आदर्श संसार का अमूल्य रत्न है और हमें बहुत सोच-समझकर उस पर आघात करना चाहिए, लेकिन मानी [एक बाल विधवा] के विषय में वह बात ही नहीं उठती। प्रेम और भक्ति नाम से नहीं, व्यक्ति से होती है। जिस पुरुष की उसने सूरत भी नहीं देखी उससे उसे प्रेम नहीं हो सकता। केवल रस्म की बात है। इस आडंबर की, इस दिखावे की, हमें परवाह न करनी चाहिए।" २४

स्पष्ट है, प्रेमचंद ने यहाँ बाल-विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया हैं। सत्य तो यह है कि वे बाल-विधवाओं को विधवा नहीं मानते। जिसकी

BARR. BALASAHEB KHARDEKAR LIBRARY SHIVAJI UNIVERSITY, KOLHAPUR.

सूरत भी उन बच्चियों ने नहीं देखी, उस की उनसे उपासना करवाना सर्वथा अनुचित है।

' प्रतिज्ञा ' उपन्यास का कमला प्रसाद कहता है- "साधारण कामों में जब हमसे कोई भूल हो जाती है, तो हम उसे तुरंत सुधारते हैं। जब जीवन को हम क्यों एक भूल के पीछे नष्ट कर दे ? अगर आज किसी दैवी बाधा से यह मकान गिर पडे तो हम कल ही उसे बनाना शुरु कर देंगे, मगर जब किसी अबला की जीवन पर दैवी आघात हो जाता है, तो उससे आशा की जाती है कि वह सदैव उसके नाम को रोती रहे। यह कितना बडा अन्याय है। पुरुषों ने यह विधान केवल अपनी काम-वासना को तृप्त करने के लिए किया है। बस, इसका और कोई अर्थ नहीं। जिसने यह व्यवस्था की, वह चाहे देवता हो या ऋषि अथवा महात्मा, मैं उसे मानव-समाज का सबसे बडा शत्रु समझता हूँ। स्त्रियों के लिए प्रतिव्रता-धर्म की पंख लगा दी। पुन: संस्कार होता, तो इतनी अनाथ स्त्रियाँ उसके पंजे में कैसे फँसती ? बस, यही सारा रहस्य है। न्याय तो हम तब समझते, जब पुरुषों को भी यही निषेध होता। " [२५]

' प्रतिज्ञा ' उपन्यास की पूर्णा के चरित्र-व्दारा भी लेखक ने विधवा समस्या का वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत किया है। पूर्णा जब बलात्कार के लिए उधत ब कमला प्रसाद को घायल करके वनिताश्रम पहूँच जाती है, तो बहुतेरे लोग उससे विवाह करने को तैयार हैं, किंतु पूर्णा ऐसी चुप है कि उससे कुछ करते नहीं बनता। वनिताश्रम के संस्थापक अमृतराय कहते हैं। " उसकी विवाह करने की इच्छा हो, तो एक से एक धनी-मानी वर मिल सकते हैं। दो-चार आदमी तो मुझी से कह चुके हैं। मगर पूर्णा से कहते हुए डरता हूँ कि कहीं बुरा न मान जाए। प्रेमा उसे ठीक ' ' ' कर लेगी। " [२६]

इसका अर्थ है कि विधवाएँ यदि चाहें तो उनका पुनर्विवाह हो सकता है। वर्ना उनकी रक्षा और निर्वाह का सुप्रबंध किया जाए। यह नहीं कि उनकी

निराश्रयता और परवशता का लम्पट और दुश्चरित्र व्यक्ति लाभ उठाएँ।

प्रेमचंद बाल-विधवाओं और एक सीमा तक युवती विधवाओं के भी पुनर्विवाह के पक्ष में थे। अन्य उनके सुधारक और नेता भी इसके पक्ष में थे किंतु विरोधियों की भी कमी न थी। प्रेमचंद ने अपने कथा-साहित्य में इन विषमताओं का वर्णन भी किया है। ` प्रतिज्ञा ` उपन्यास का प्रारंभ ही इसको लेकर होता है। आर्य-मंदिर में पंडित अमरनाथ का समाज-सुधार पर व्याख्यान हो रहा है। श्रोतागण मंत्र-मुग्ध-से बैठे सुन रहे हैं। अमरनाथ के यह कहने पर कि जिन महाशयों को पत्नी वियोग हो चुका है, वे कृपया हाथ उठाएँ, चारों ओर हाथ-ही-हाथ नजर आते हैं। इसके बाद वे कहते हैं, "आप लोगों में कितने महाशय ऐसे हैं, जो वैधव्य के भँवर में पडी हुई अबलाओं के के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने का साहस रखते हैं ? कृपया वे हाथ उठाए रहे।" [२७] अमरनाथ के इतना कहते ही सभी हाथ नीचे आ जाते हैं, केवल एक हाथ ऊपर उठा रहता है। यह बाबू अमृतराय का हाथ था। युवक-समाज की इस ` कर्तव्य `, ` साहस-हीनता ` और ` पाषाण - हृदयता ` का कारण क्या था ? समाज का भय।

यह समाज की स्थिति है। विधवा-विवाह करने की न तो समाज में इच्छा है और न साहस। प्रेमचंद इस कर्तव्य पालन के लिए अमृतराय को सामने लाते हैं और विधवा-समस्या का हल व्यक्ति रूपमें प्रस्तुत करते हैं कि यदि जिस की पहली स्त्री मर गई हो, तो वह विधवा से विवाह करे। यह हल वैयक्तिक ही नहीं, नैतिकता से भी सम्बन्ध रहता है। समाज का यदि नैतिक स्तर उपर उठ जाता है तब यह या इसके समान अनेक समस्याएँ अपने-आप हल हो जाती हैं। प्रस्तुत विषय पर अमृतराय और प्रोफेसर दाननाथ में जो बहस

होती है वह इस प्रकार है- "यह अच्छा सिध्दान्त है कि जिसकी पहली स्त्री मर गई, वह विधवा से विवाह करे।

अमृतराय-न्याय तो यही कहता है।

दाननाथ-बस, तुम्हारे न्याय-पथ पर चलने ही से तो सारे संसार का उध्दार हो जायगा। तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हाँ, नक्कू बन सकते हो।

अमृतराय ने दाननाथ को सगर्व नेत्रों से देखकर कहा- " आदमी अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है। अकेले आदमियोंने ही आदि से विचारों में क्रांति पैदा की है। अकेले आदमियोंके कृत्यों से सारा इतिहास भरा पडा है। कुछ नहीं कर सकता- यह मैं न मानूँगा। " २८

इस प्रकार प्रेमचंद पुनर्विवाह की समस्या पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हुए यह बताना चाहते हैं कि पत्नी का वियोग [पत्नी मर जानेवाली पुरुषोंको] होने वाले व्यक्ति भी विधवा के साथ विवाह करना नहीं चाहते, यह ठीक नहीं। अगर इस प्रकार से होता रहेगा तो विधवा का पुनर्विवाह नहीं हो सकता। कम से कम ऐसे विचारों व्यक्तियोंने तो विधवा के साथ विवाह करके विधवा का न्याय करना चाहिए।

५] पुनर्विवाह के निंदकों की समस्या

नि:संदेह व्यक्तिगत रूप से विधवा-विवाह विधवा समस्या को सुलझाने में सामयिक और आंशिक सहायता कर सकता है। पर वह भी एक दुर्लभ कार्य है, कमसे कम प्रेमचंद के समय तो था ही। विधवा-विवाह के विरोधियों का अच्छा खासा दल विद्यमान था जो इसे पाप ठहराता था और धर्म की दुहाई देकर इसका बुरे से बुरे शब्दों में खुला विरोध करता था।

विधवाओं और उनसे विवाह करने वालों, दोनों को समाज का अपमान सहना पड़ता था। उनसे उनके परिवार के लोग सम्बन्ध तोड़ लेते थे। ' प्रतिज्ञा ' उपन्यास में अमृतराय का विवाह प्रेमा के साथ निश्चित हो गया है। इसी बीच वे यह प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि विधवा विवाह करेंगे प्रेमा के पिता [लाला बदरी प्रसाद] जब यह सुनते हैं, तो अपने अन्धविश्वासों और पोंगापंथी विचारों को इन शब्दों में प्रकट करते हैं- "आखिर हिंदू और मुसलमान में विचारों ही का तो अंतर है। मनुष्य में विचार ही सबकुछ है। वह विधवा-विवाह के समर्थक हैं, समझते हैं, इससे देश का उध्दार होगा। मैं समझता हूँ, इससे हमारा समाज नष्ट होगा, हम इससे कहींअधोगति को पहूँच जाएँगे, हिंदुत्व का रहा-सहा चिन्ह भी मिट जाएगा इस प्रतिज्ञा ने उन्हें हमारे समाज से बाहर कर दिया। अब हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं रहा।" २९

प्रेमा का भाई [कमला प्रसाद] यह संवाद सुन कर अमृतराय का मखौल उडाता है,-"लाला अब किसी विधवा से शादी करेंगे? अच्छी बात है, मै जरुर बारात में जाऊँगा, चाहे और कोई जाय या न जाए। जरा देखूँ, नए ढंग का विवाह कैसा होता है। वहाँ भी सब व्याख्यान बाजी करेंगे।" ३०

यह सारी रुकावटे हैं जो विधवा समस्या के हल के सामने आती हैं। प्रेमचंद ने उन सब का अच्छा चित्रण किया हैं। लेकिन हजार रुकावटों के होते हुए भी प्रेमचंद समाज को आगे ही बढाते हैं। प्रेमा और अमृतराय जैसे सत्पात्रों को गढते हैं। प्रेमा-अमृतराय के बारेमें अपनी माँ देवकी से कहती- "ऐसे सुशिक्षित पुरुष अगर यह काम न करेंगे तो कौन करेगा ? जब तक ऐसे लोग साहस से काम न लेंगे, हमारी अभागिनी बहनों की रक्षा कौन करेंगा ?" ३१

स्वयं प्रेमचंद ने जो विधवा-विवाह किया वह इस विषय में स्थिर उनकी आस्था का प्रमाण है।

प्रेमचंद ने विधवा समस्या के लिए विधवाओंका पुनर्विवाह यही एकमात्र उपाय सुझाया। प्रेमचंद काल में विधवाओंका पुनर्विवाह नहीं होता था। अगर कोई विधवाओंके साथ विवाह करने भी लगे तो उस व्यक्तिका समाज में कोई स्थान न रह जाता। उन व्यक्तियोंकी निंदा की जाती। लेकिन प्रेमचंद ने निंदा करनेवाले व्यक्तियोंकी कोई परवाह नहीं की। प्रेमचंद सिर्फ बातें नहीं करते थे, बल्कि की हुई बातों पर अमल भी करते थे। उन्होंने स्वत: शिवरानी देवी नामक बाल-विधवा से पुनर्विवाह किया।

६] विधवा आश्रम की समस्या।

'प्रतिज्ञा' में पूर्णा हिंदू-विधवा का प्रतीक है। लाला बदरी प्रसाद उसे अपने घर में रखने को सच्चे हृदय से प्रस्ताव रखते हैं- "मैं सोच रहा हूँ, पूर्णा को अपने ही घरमें रखूँ तो हरज क्या है? अकेली औरत कैसे रहेगी?" [32] आगे चलकर पूर्णा उनके घर में आ भी जाती है। पर स्वयं प्रेमचंद यह अच्छी तरह बता देते हैं कि विधवा की रक्षा का यह कोई हल नहीं। पूर्णा का आगामी जीवन जो रूप लेता है, वह लाला बदरी प्रसाद की इस दया को बेकार कर देता है।

प्रेमचंद ने विधवा-समस्या का अन्य समाधान वनिताश्रमों की स्थापना द्वारा बताया हैं। वे विधवाएँ, जो सर्वथा रक्षाहीन और अनाथ हैं, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं, जो निस्संतान हैं, युवती हैं- उन्हें पथभ्रष्ट करने के लिए नर पिशाच घेर लेते हैं। 'प्रतिज्ञा' उपन्यास में प्रेमा वनिताश्रम के लिए चंदे का अपील करती हुई कहती है, "यह सभा आज इसलिए की गई है कि आपके इस नगर में एक ऐसा स्थान बनाने के लिए सहायता माँगी जाए, जहाँ

हमारी अनाथ आश्रयहीन बहने अपनी मान-मर्यादा की रक्षा करते हुए शांति से रह सकें। " [33]

इतना ही नहीं तो वह विधवाओं की समाज में क्या आवस्था है उनपर किस प्रकार नर-पिशाचों का हमला होता है यह प्रेमा के वक्तव्य में हमें दिखायी देता है- "कौन ऐसा मुहल्ला है, जहाँ ऐसी दस-पांच बहने नहीं हैं। उनके ऊपर जो बीतती है, वह क्या आप अपनी आँखों से नहीं देखते ? कम से कम अनुमान तो कर ही सकते हैं। वे जिधर आँख उठाती है, उधर ही उन्हें पिशाच खडे दिखाई देते हैं, जो उनकी . . . दीनावस्था को अपनी कुवासनाओं को पूरा करने का साधन बना लेते हैं। हमारी लाखों बहने इस भाँति केवल जीवन-निर्वाह के लिए पतित हो जाती हैं। क्या आपको उन पर दया नहीं आती ? मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि अगर उन बहनों की रूखी रोटियाँ और मोटे कपडों का भी सहारा हो, तो वे अन्त समय तक अपने सतीत्व की रक्षा करती रहे। " [34]

अनाथ विधवाओं के पालन और रक्षा के लिए उच्च कोटि के रक्षागृहों अथवा विधवाश्रमों की स्थापना प्रेमचंद-युग की विशेषता है। उस समय इस तरह के आश्रम धडल्ले से खुल रहे थे। ये आश्रम विधवाओं को व्यावहारिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण देते थे। आश्रमों की विधवाओं व्दार बनाई हुई वस्तुओं उनके व्दारा उपजाई हुई सब्तरकारियों से आश्रम का बहुत-कुछ खर्च निकल जाता था। ये आश्रम व्यक्तिगत प्रयत्नों व्दारा चंदे के बल पर खोले जाते थे। ' प्रतिज्ञा ' उपन्यास के अमृतराय व्दारा खोला गया आश्रम ठीक इसी प्रकार का है। इसमें ८० स्त्रियाँ और २० ... बालक हैं। आश्रम की जमीन २० एकड की है। उसमें विधवाओं को इन चीजों ... को बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो बिकती भी हैं- सूत, उन रेशम, सलमा-सितारे मँज आदि की सुंदर बेल-बूटदार चीजे, सिले हुए कपडे, मिट्टी और लकडी के खिलौने, मौजे,बनियाइन,

चित्र, मिठाइयाँ, मुरब्बे, आचार आदि। वे फल-फूल और तरकारी भी उपजाती हैं। स्त्रियाँ ही शिक्षिकाएँ हैं, कोई पुरुष आश्रम के अंदर नहीं जाता। आश्रम की रोजाना बिक्री सौ रुपये के लगभग है। सारे कार्य सुदक्ष स्त्रियाँ व्दारा संचालित होते हैं। कहीं शिथिलता निरुत्साह या कलह का नाम नहीं है।" [35]

प्रेमचंद युग में जो विधवाश्रम खुले थे, उनमें से कुछ स्वार्थी संचालकों की आर्थिक नीति के कारण बदनाम थे। कहीं-कहीं इस पर वेश्यालय भी खोले जाते थे। या विधवाश्रम ही अर्ध्द-वेश्यालय होते थे। इसलिए सुधारकों ने उच्च कोटि के सुसंचालित आश्रमों पर जोर दिया।

कभी-कभी अच्छे सुधारकों व्दारा खोले गए विधवाश्रमों को भी उनके ईर्षालु मित्र बुरा बताते थे। ` प्रतिज्ञा ` उपन्यास में लेखक ने ऐसे ही व्देषी व्यक्तियों का उद्घाटन किया। कमला प्रसाद अपने पिता से कहता है- "अपने पिता से कहता है- "आपने कुछ सुना ? बाबू अमृतराय एक वनिताश्रम खोलने जा रहें हैं। कमाने का नया ढंग निकाला है "

बदरी प्रसाद ने जरा माथा सिकोड कर पूछा-कमाने का ढंग कैसा, मैं नहीं समझा।"

कमला- "वही जो और लिडर करते हैं। वनिताश्रम में विधवाओंका पालन-पोषण किया जाएगा। उन्हें शिक्षा भी दी जाएगी। चंदे की रकमें आएँगी और यार लोग मजे करेंगे। कौन जानता है कहाँ से कितने रुपए आए। महीने भर में एक झूठ सच्चा हिसाब छपवा दिया। सुना है, कई रईसों ने बड़े-बडे चंदे देने का वचन दिया है। पांच लाख का तखमीना है। इसमें कम-से-कम पचास हजार तो यारों के ही हैं। वकालत में इतने रुपए कहाँ इतने जल्द मिले जाते थे।"

बदरी- "पचास ही हजार बनाए तो क्या बनाए, मैं तो समझता हूँ, एक लाख से कम पर हाथ न मारेंगे।"

कमला- इन लोगों को सूझती खूब है। ऐसी बातें हमलोगों को नहीं सूझती।"

बदरी- "जा कर कुछ दिनों उनकी शागिर्दी करो, इसके बिना और काई उपाय नहीं है।"

कमला-"तो क्या मैं कुछ झूठ कहता हूँ ?"

बदरी-"जरा भी नहीं। तुम कभी झूठ बोले ही नहीं, भला आज क्यों झूठ बोलने लगे। सत्य के अवतार तुम्हीं तो हो।" [३६]

दाननाथ भी कुछ ईर्ष्या से और कुछ अपनी पत्नी [प्रेमा] को छेडने के लिए अमृतराय और उनके वनिताश्रम की इस प्रकार निंदा करता है- "दस-बीस जवान विधवाओं को इधर-उधर से एकत्र करके रास-लिला सजाएँगे। चहारदीवारी के भीतर कौन देखता है, क्या हो रहा है।" [३७]

विधवा समस्या पर प्रकाश डालते हुए प्रेमचंद विधवाओंके लिए विधवा आश्रम का उपाय भी सुझाते हैं। प्रेमचंद कालमें विधवा आश्रम खोले भी गए लेकिन समाज के स्वार्थी लोगों ने विधवा आश्रम के नाम पर वेश्यालय या अर्ध्द-वेश्यालय खोलकर विधवाओंका अपमान किया। प्रेमचंद बताना चाहते हैं कि विधवाओंके लिए विधवा आश्रम ही और एक महत्वपूर्ण उपाय है।

७] परिवार में विधवा के अस्तित्व की समस्या।

प्रेमचंद ने विधवा समस्या के किसी भी पहलू और अंग को नही छोडा पति की मृत्यु के बाद ` वरदान ` उपन्यास की वृजरानी अपने को सर्वथा अनाथ समझती है, यधपि उसके घरमें उसके ससुर , जेठ और जेठानी आदि

सभी मौजूद हैं, हिंदू-स्त्री का पति से पृथक कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए पति की मृत्यु के बाद वह अपने को अत्यंत निरीह समझती है। वृजरानी के दु:ख-दशा का वर्णन प्रेमचंद इन शब्दों में करते है- "सौभाग्यवती स्त्री के लिए उसका पति संसार की सबसे प्यारी वस्तु होती है। वह उसके लिए जीती है और उसी के लिए मरती है। उसका हँसना-बोलना उसी को प्रसन्न करने के लिए और उसका बनाव-शृंगार उसी को लुभाने के लिए होता है। उसका सोहाग उसका जीवन है और सोहाग का उठ जाना उसके जीवन का अंत है। कमला चरण की अकाल मृत्यु वृजरानी के लिए मृत्यु से कम न थी। उसके जीवन की आशाएँ और उमंगे सब मिट्टी में मिल गई।" [३८]

विधवा वृजरानी का अपना कष्ट कुछ कम नहीं है, उस पर उसकी सास [प्रेमवती] व्यंग्य-बाणों से उसके हृदय को वेधती रहती है। वृजरानी के विधवा होने के थोडे दिनों के बाद उसके ससुर को भी उनके एक दुश्मन ने मार डाला था। प्रेमवती इसके लिए भी अपनी बहू को ही दोषी ठहराती है। इसके बारेमें टिप्पणी करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं- "वह बात-बात पर विरजन से चिढ जाती और कटूक्तियों से उसे जलाती। उसे यह भ्रम हो गया था कि ये सब आपत्तियाँ इसी बहू की लाई हैं। यही अभागिनी जब से घर में आयी, घर का सत्यानाश हो गया। कई बार उसने खोलकर विरजन से कहा- 'तुम्हारे चिकने रूप ने मुझे ठग लिया। मैं क्या जानती थी कि तुम्हारे चरण ऐसे अशुभ हैं। विरजन यह बाते सुनती और कलेजा थाम कर रह जाती जब दिन ही बुरे आ गए, तो भली बातें क्यों कर सुनने में आएँ। यह आठों प्रहर का ताप उसे दु:ख के आँसू भी न बहाने देते।" [३९]

इसतरह विधवाओं के जीवन में अपने अस्तित्व की समस्या खडी हो जाती है। परिवार वाले उसको अशुभ समझते हैं। इतना ही नहीं

तो उसके मर जाने की कामना तक करते है। प्रेमचंद के काल में इस तरह विधवा जीवन से सम्बन्धि अस्तित्व की समस्या एक जटिल समस्या बन गयी थी।

८] मानसिक संघर्ष की समस्या।

` प्रतिज्ञा ` उपन्यास में नायिका पूर्णा एक ऐसी विधवा है जो समाज की बुरी नजरों से बच नहीं पाती। लाला बदरी प्रसाद अनाथ विधवा पूर्णा को अपने घर में आसरा देते हैं, लेकिन उनका लंपट पुत्र कमला प्रसाद पूर्णा को अपनी वासना का शिकार बनाना चाहता है। पूर्णा को पाने के लिए . नाना प्रकारों से प्रयत्न करता है। कमला प्रसाद . के तर्कों से पूर्णा का हृदय विचलित हो जाता है। फलत: उसके मन में पति-भक्ति, संयम, व्रत के विरुध्द तरह-तरह के विचार उठने लगते हैं- "क्या वह मर जाती तो उसके पति पुनर्विवाह न करते ? अभी उनकी आवस्था ही क्या थी ? पच्चीस वर्ष की आवस्थामें क्या वह विधुर-जीवन का पालन करते ? न कदापि नहीं। अब उसे याद ही न आता था कि पंडित वसंत कुमार ने उसके साथ कभी इतना अनुरक्त प्रेम किया था।........... स्त्री और पुरुष का मन न मिला, तो विवाह क्या मिला देगा ? विवाह होने पर भी तो पुरुष की जब इच्छा होती है, स्त्री को छोड देता है। बिना विवाह के भी तो स्त्री-पुरुष आजीवन प्रेम से रहते हैं। " ४०

यहाँ यह कहना असंगत न होगा कि पूर्णा के वक्तव्य पर कमला प्रसाद के विचारों का स्पष्ट प्रभाव है और इस में संदेह नहीं कि वे पूर्णा के लिए खतरनाक हैं।

विधवा हो या सधवा स्त्रियों में मानसिक संघर्ष होता ही रहता है। अगर किसी लडकी का ब्याह अपने पिता की आयु के व्यक्ति के साथ

हो गया तो उस लड़की के मन में भी पराये पुरुष के प्रति आकर्षण होता है। इस बात को लेकर उसके मन में मानसिक संघर्ष शुरू होता है।

' निर्मला ' उपन्यास की निर्मला का विवाह बूढ़े तोताराम से होता है। युवती वृध्द पति से संन्तुष्ट नहीं हो सकती यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। ऐसी आवस्था में वह अपने भाग्य को दोष दे कर अपनी स्थिति से संतोष कर लेती है, यधपि उसकी आंतरिक जलन बनी रहती है। इस प्रकार से अगर किसी युवती का विवाह वृध्द से होगा तो वह पथभ्रष्ट भी हो जा सकती है। निर्मला अपनी बहन [कृष्णा] से अपने सौतेले पुत्र मंसाराम के प्रति अपने आकर्षण की बात इन शब्दों में स्वीकार करती है- " कृष्णा, मैं तुमसे सच कहती हूँ, जब मेरे पास आकर बैठ जाता था, तो मैं अपने को भूल जाती थी। जी चाहता था, हरदम सामने बैठा रहे और मैं देखा करूँ। मेरे मन में पाप का लेश भी न था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी ओर देखा हो तो मेरी आँखें फूट जाएँ, पर न जाने क्यों उसे अपने पास देख कर मेरा हृदय फूला न समाता था, इसलिए मैंने पढने का स्वांग रचा, नहीं तो वह घर में आता ही न था। यह मैं जानती हूँ कि अगर उसके मन में पाप होता, तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। " ४१

९] <u>भोजन की समस्या।</u>

प्रेमचंद युग में पति की सम्पत्ति में विधवा का थोडा हिस्सा भी नहीं होता था, इसलिए सम्मिलित परिवार में उसकी दुर्दशा होती थी। जिस घर की वह स्वामिनी होती थी, पति के मरणोपरांत उसी घर में उसको रोटी के लिए तरसना पडता था।

` गबन ` उपन्यास की रतन के पुत्र नहीं है, अत: उसके पति की कमायी हुयी लाखों की संपत्ति पर एक क्षण में मणिभूषण का हक हो ह जाता है, और वह राह की भिखारिन हो जाती है उसको रोटी के लिए तक तरसना पडता है। उसके बारेमें लेखक लिखते हैं- "वही रतन है जिसने रुपयो की कभी कोई हकीकत न समझी, इस एक ही महीने में रोटियों की भी मुहताज हो गई थी।" [४२] इस तरह नारी के सामने विधवा बन जाने के बाद भोजन की समस्या भी खडी हो जाती है।

प्रेमचंद विधवा ओंमें आत्म सम्मान देखाना चाहते थे। उनका निरीह होना और दो जून रोटी पा कर घर के एक ब कोने में पडे रहना, उनकी दृष्टि में विधवाओं का आदर्श नहीं होना चाहिए। समाज को उनके f पीछे हाथ धो कर नहीं पड जाना चाहिए, उन्हें अपने कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, उन्हें स्वयं अपने कार्यों का उत्तरदायी होना चाहिए,।

इस प्रकार प्रेमचंद ने विधवा समस्या को स्त्री-पुरुष की समानता की समस्या से जोड दिया है और उसके मूल तक पहूँचने का प्रयत्न किया है। जब तक स्त्रियों को भी मनुष्य नहीं समझा जाएगा, तब तक स्त्रियों पर सभी प्रकार के अत्याचार होते रहेंगे, जब तक उन्हें घर में बे कैदी और दासी का जीवन व्यतीत करने को विवश किया जाएगा तब विधवा-समस्या के समाधान में विधवा-पुनर्विवाह और विधवाश्रमों की स्थापना, केवल पैवन्द का काम [Patch-Work] करेंगे, वे इस समस्या का कोई मौलिक समाधान नहीं कर सकेंगे। संभावत: इस विषयपर प्रेमचंद का यही मन्तव्य कहा जा सकता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार प्रेमचंद ने 'प्रतिज्ञा,' ब ` वरदान `, ` निर्मला `, ` कर्मभूमि `, ` गबन `. आदि उपन्यासों में विधवा समस्या को उठाया

हैं। इसमें व्याप्त अधविश्वास, रुढियाँ आदि का पर्दाफाश किया है। अपने साहित्य के व्दारा वे समाज को जागरूक करना चाहतें हैं। प्रेमचंद ने विधवा समस्या के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला है। प्रकाश डालते हुए वे इस समस्या के समाधान भी सुझाते हैं। इस प्रकार विधवा-समस्या पर प्रेमचंद जैसे जागरूक लेखक ने जो कुछ लिखा है, वह हिंदू समाज को चुनौती है। उनका सुधारवादी दृष्टिकोण उस समय का सबसे बडा क्रांतिकारी कदम था, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

` प्रतिज्ञा ` उपन्यास में विधवा समस्या पर विशेष रूपसे प्रकाश डाला है। प्रेमचंद काल में विधवाओंका पुनर्विवाह नहीं होता था। विधवाओं पर अत्याचार किए जाते थे। अत: विधवाओंकी समस्यापर लोगोंका ध्यान आकर्षित करना यही प्रेमचंद का उद्देश्य रहा।

विधवा समस्या पर प्रकाश डालते हुए आर्थिक समस्या में प्रेमचंदने यह बताया है कि पति के मरने के पश्चात विधवा बनी स्त्री के पास धन कमाने का कोई साधन नहीं होता और उसका जीवन नरक बन जाता है। वह अपने पुत्रियों का ब्याह तक नहीं कर सकती। इन विधवाओंको कामांध पुरुष अपनी वासना का शिकार बनाना चाहते हैं। पूर्णा जैसी सत्चरित्र की स्त्री भी कमला प्रसाद जैसे कामांध पुरुषों की नजरोंकी शिकार होती है। जिस घर की वह स्वामिनी होती थी पति के मर जाने के पश्चात वह एक नौकरानी की भाँति होती है। रतन के व्दारा प्रेमचंद ने यह बताने का प्रयास किया है कि रतन का भतिजा मणिभूषण रतन की सारी संपत्ति हडप लेता है। प्रेमचंद युग में विधवाओंका पुनर्विवाह होने लगा था। लेकिन कुछ आलोचक इसे बुरा मानते थे। पुनर्विवाह जैसी घटना का कुछ लोगों ने खुलकर विरोध भी किया। विधवाओं की रक्षा करने के लिए कुछ समाज सुधारक विधवा आश्रम का निर्माण कर रहे थे। लेकिन विधवा आश्रमों पर भी

लोगोंने व्यंग्य किया। विधवा आश्रमों के नाम पर कुछ लोगो ने वेश्यालय भी खोले। विधवा स्त्री का उसके परिवार में उसके रिश्ते के लोग होते हुए भी उसका अस्तित्व एक नौकरानी की भाँति था। पूर्णा जैसी साध्वी स्त्री को अपने जाल में फँसाने का प्रयत्न कामांध पुरुष करते हैं, तो उसके मनमें मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है।

अपने उपन्यास में प्रेमचंद ने विधवाओं की निम्न समस्या पर प्रकाश डाला है।

१] आर्थिक समस्या।

२] कामांध पुरुषों की वासना का शिकार बन जाने की समस्या।

३] पति के संपत्ति के उत्तराधिकार की समस्या।

४] पुनर्विवाह की समस्या।

५] पुनर्विवाह के निंदकों की समस्या।

६] विधवा आश्रम की समस्या।

७] परिवार में विधवा के अस्तित्व की समस्या।

८] मानसिक संघर्ष की समस्या।

९] भोजन की समस्या।

इन समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए, प्रेमचंद ने निम्न उपाय सुझाए है-

१] विधवा-विवाह।

२] विधवा आश्रम की स्थापना।

३] पति की संपत्ति में विधवा का हिस्सा।

४] आदर सम्मानयुक्त, उत्तरदायित्वपूर्ण, व्यक्ति संपन्न विधवा जीवन।

इस प्रकार विधवा समस्या के अध्ययन के पश्चात मेरे हाथ उपर्युक्त चार निष्कर्ष लगे हैं।

स॰ क्र॰	लेखक	पुस्तक	पृष्ठ क्र॰
१	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	३७
२	प्रेमचंद	निर्मला	४४-४५
३	प्रेमचंद	निर्मला	३८-३९
४	प्रेमचंद	निर्मला	८६
५	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	४१
६	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	७३-७४
७	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	९१-९२
८	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	९३-९४
९]	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	९५
१०	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	१७१
११	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	९८-९९
१२	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	१६५
१३	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	१६७
१४	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	१६९-७०
१५	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	९८
१६	प्रेमचंद	कर्मभूमि	२२
१७	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	८२-८३
१८	प्रेमचंद	गबन	१६६
१९	प्रेमचंद	गबन	१६६-६७
२०	प्रेमचंद	गबन	१६७
२१	प्रेमचंद	गबन	१६९

स. क्र.	लेखक	पुस्तक	पृष्ठ क्र.
२२	प्रेमचंद	गबन	१६९
२३	शिवरानी देवी	प्रेमचंद: घर में	१६२
२४	प्रेमचंद	मानसरोवर भाग-१	२१८
२५	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	१६७-६८
२६	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	२२०
२७	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	५
२८	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	५
२९	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	६५
३०	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	२०
३१	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	१२
३२	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	२२
३३	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	१३४
३४	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	१३४
३५	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	२२२
३६	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	९६-९७
३७	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	१०९
३८	प्रेमचंद	वरदान	८७
३९	प्रेमचंद	वरदान	८९
४०	प्रेमचंद	प्रतिज्ञा	१६९-७०
४१	प्रेमचंद	निर्मला	१०१-२
४२	प्रेमचंद	गबन	१६६